BCCI BULLETIN

Vol. 55 | December 2024 | No. 12

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के शताब्दी समारोह समिति की प्रथम बैठक देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की जयन्ती के अवसर पर

दीप प्रज्वलित कर शताब्दी समारोह की प्रथम बैठक का शुभारम्भ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में पूर्व अध्यक्ष एवं शताब्दी समारोह समिति के चेयरमैन श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व महामंत्री श्री राजा बाबू गुप्ता एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के 100वीं वर्षगांठ पर शताब्दी समारोह को मनाने के लिए शताब्दी समारोह समिति का प्रारम्भ दिनांक 03 दिसम्बर 2024 देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद की 140वीं जयन्ती के अवसर पर हुआ। इस अवसर पर सदस्यों ने राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया। इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने बताया कि शताब्दी समारोह को भव्य रूप में सफल बनाने के लिए चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल के चेयरमैनशिप में शताब्दी समारोह कमिटी का गठन किया गया है।

शताब्दी समारोह कमिटी के चेयरमैन श्री पी० के० अग्रवाल ने चैम्बर कि स्थापना के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए बताया कि बिहार और उड़ीसा के एक दिग्गज व्यवसायी समूह ने, राय बहादुर राधा कृष्ण जालान, पटना के नेतृत्व में, 1926 में बिहार और उड़ीसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नींव रखी। पहली समिति की बैठक 9 सितंबर 1926 को हुई और स्वर्गीय राय बहादुर राधा कृष्ण जालान इस प्रतिष्ठित संगठन के पहले अध्यक्ष बने।

श्री अग्रवाल ने कहा कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार प्रांत से अलग हो गया, फलस्वरूप चैम्बर का नाम बदलकर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर दिया गया। बाद में 1956 तक बिहार के अग्रणी औद्योगिक घराने साहू जैन समूह, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर और अन्य प्रमुख उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने चैम्बर के विकास का समर्थन किया और चैम्बर का अपना भवन सचिवालय बनाया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स (बीसीसी) पूरे व्यापारिक समुदाय की जरूरतों का ख्याल रखने, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ओद्योगिक एवं वाणिज्यिक नीतियों का समन्वय करने वाला अग्रणी निकाय बन गया है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि 1951-52 में चैम्बर की रजत जयंती मनायी गयी थी जिसमे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी पधारे थे और अपने स्वागत के अवसर पर विशिष्ट आगंतुक पुस्तिका में अपनी टिप्पणियां भी दर्ज की थी। हीरक जयंती समारोह ने चैम्बर की गरिमामय आगंतुक पुस्तिका में एक और रत्न जुड़ गया, जब महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकट रमन जी तत्कालीन उपराष्ट्रपति चैम्बर पधारे। 31 मई 2003 का दिन चैम्बर के लिए एक और मील का पत्थर साबित हुआ, जब भारत के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में कृपापूर्वक चैम्बर पधारे। श्री अग्रवाल ने बताया कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वर्ष 2002 में अपना प्लेटिनम जुबली पूरा किया था। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से मजबूत बिहार के निर्माण के लिए प्रयास करना तथा व्यापार और उद्योग के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान का प्रयास करना है, जो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इतिहास में

(शेष पृष्ठ 3 पर)

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी का निधन दुःखद है। डॉ0 सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। ये वक्त देश के आर्थिक विकास के लिए काफी अहम था। वित्त मंत्री के रूप में 3 नवम्बर 1995 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनके साथ बैठक हुई थी। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे डॉ0 मनमोहन सिंह जी को आर्थिक उदारीकरण के नायक के तौर पर देखा जाता है। उनकी बनाई नीतियों ने देश में लाइसेंस राज को खत्म कर उदारीकरण के ऐसे दरवाजे को खोल दिया जिसने भारत को न सिर्फ गंभीर आर्थिक संकट से बचाया बल्कि देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। स्व0 सिंह को देश सदैव याद रखेगा।

बिहार में चालू वित्तीय वर्ष 2024–2025 में 2515.46 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर गये हैं। इतनी राशि से इस वर्ष स्थापित 157 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। यह ऑकड़ा अभी और बढ़ने की उम्मीद है चूँकि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अभी तीन माह लगभग बाकी है। निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने की अगर यही गति बनी रही, तो यह वित्तीय वर्ष सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाला और रोजगार सृजित करने वाला वर्ष बन जायेगा।

यह भी सत्य है कि विगत वर्षों में बिहार में औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) के अंतर्गत 2016 से 2024–2025 तक 8790 करोड़ के निवेश से स्थापित 787 यूनिटों ने उत्पादन शुरू किया है। वर्ष 2016–2020 तक करीब चार वर्षों के अन्तराल में 1753.26 करोड़ के निवेश से 228 इकाइयों ने उत्पादन शुरू किया था। 2020–2021 में यानि कोरोना काल में 196 करोड़ की लागत से केवल 53 एवं 2021–2022 में 551.44 करोड़ से स्थापित 72 इकाइयों ने उत्पादन प्रारम्भ किया था। इसके बाद फिर से निवेश ने गति पकड़ी।

वर्ष 2024 बिहार के उद्योग जगत के लिये बहुत खास रहा। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क का निर्माण शुरू हुआ। इससे देश के औद्योगिक मानचित्र पर बिहार का नाम उभर कर आया। औद्योगिक विकास के सभी क्षेत्र में इस वर्ष बिहार ने उँची छलांग लगाई है। डोभी में 1344 करोड़ की लागत से 1670 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) का निर्माण हो रहा है। इसके पूर्ण होने पर गया पूर्वी भारत के औद्योगिक केन्द्र के रूप में जाना जायेगा। यह अमृतसर–कोलकाता कॉरिडोर का हिस्सा बन जायेगा। फलस्वरूप बिहार में निर्मित उत्पादों को देश में कहीं भी पहुँचाना सहज हो जायेगा। इसके अतिरिक्त नेपाल, बांग्ला देश, भूटान के बाजारों तक भी पहुँच सहज होगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त बिहार में दो विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) को भी स्वीकृति मिली है। इसमें बक्सर का नवानगर और पश्चिम चम्पारण का कुमारबाग सम्मिलित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के जरिये निर्यात के लिए विशेष अवसर सृजित होंगे।

राज्य के कई शहरों में औद्योगिक क्लस्टर भी बनकर तैयार हुए हैं जिनमें आईटी पार्क, मेगा फुड पार्क, बैग क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर आदि सम्मिलित है। इनके द्वारा भी कई बड़ी और छोटी औद्योगिक इकाइयों की शुरूआत हुई है। वारिसलीगंज में सीमेंट फैक्टरी का निर्माण शुरू हुआ, नालन्दा सहित कई स्थानों पर इथेनॉल प्लांट लगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी जिलों में कुछ न कुछ औद्योगिक इकाइयॉ लगी।

औद्योगिक विकास और निवेशकों का रूझान का ही प्रभाव है कि राज्य कैबिनेट ने भी प्रदेश के सभी जिलों को औद्योगिक मानचित्र पर लाना शुरू कर दिया है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जा रहा है। वर्त्तमान में राज्य के 31 जिलों में 84 औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसमें अब 2 हजार एकड़ से भी कम जमीन शेष है। औद्योगिक भूमि बैंक के लिए भी सभी जिलों से 9 हजार एकड़ जमीन का प्रस्ताव मिला है जिस पर काम शुरू कर दिया गया है।

स्थानीय उत्पादों के निर्यात में भी बिहार ने इस वर्ष लम्बी छलांग लगाई है। बिहटा में इनलैंड कंटेनर डीपो, वेयर हाउसिंग और मल्टी मॉडल परिवहन की सुविधा की शुरूआत हुई है। यहॉ कृषि उत्पादों के लिए ई–रेडिएशन सेंटर और एक्सपोर्ट पैक हाउस भी शुरू हुई है। इससे राज्य के उत्पादों की निर्यात के मुताबिक पैकेजिंग शुरू हो गयी है। बिहटा स्थित डिपो से निर्यात भी प्रारम्भ हो गया है। **यानि वर्ष 2024 में बिहार ने औद्योगिक विकास के मोर्चे पर उँची छलांग लगाई।**

इसी तरह यदि बिहार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहार के औद्योगिकरण का प्रयास मूर्त रूप ग्रहण करेगा। इसके साथ ही उद्यमियों एवं व्यावसायियों की जो समस्याएँ हैं उनका यदि तत्परता से समाधान कर दिया जाये, उनकी जो उचित मांग है, उन्हें पूरा कर दिया जाये तो उद्यमी एवं व्यावसायी और प्रोत्साहित होंगे और अपना उद्योग व्यवसाय अच्छी तरह चला पायेंगे। फलस्वरूप, राज्य में रोजगार के और भी अवसर सृजित होंगे तथा आर्थिक दृष्टि से भी राज्य समृद्ध होगा।

खुशी की बात है कि रीगा चीनी मिल पुनः चालू हो गयी है जो चार साल से बन्द थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 दिसम्बर 2024 को इस मिल के पुनरूद्धार कार्य का शुभारम्भ किया।

जीएसटी परिषद् की बैठक में स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर कर दरों को कम करने सहित व्यापक जनहित के कई प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। इस बीच कई ऐसे निर्णय अवश्य हुए हैं जिससे लोगों एवं कम्पनियों की पॉकेट पर बोझ बढ़ेगा।

पुरानी कारों पर कर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत :– 18 प्रतिशत जीएसटी की दर उन वाहनों पर लागू होगी, जिन्हें कम्पनियों या फर्मों द्वारा क्रय किया जाता है। इस श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल किया गया है। कम्पनियॉ इन पर मूल्य ह्रास (Depreciation) का दावा करती है।

अब पुराने वाहनों को भी इस स्लेब में शामिल कर लिया गया है। इससे पुरानी ईवी कारों का बाजार प्रभावित होगा। हलांकि पुरानी ईवी को कोई व्यक्ति सीधे दूसरे व्यक्ति को बेचता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई पंजीकृत कार विक्रेता पुरानी इलेक्ट्रिक कार को खरीद कर बेचता है तो उस पर 18 प्रतिशत GST लगेगा। GST की दर मार्जिन मनी यानी खरीद व बिक्री मूल्य के अंतर पर ही लागू होगी। 18 प्रतिशत GST 1200 बब या उससे अधिक की ईंजन क्षमता और 4000 mm की लम्बाई वाले पुराने पेट्रोल, 1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 mm की लम्बाई वाले डिजल वाहन और एसयूवी पर लागू होगी।

नव वर्ष की मंगल कामनाओं सहित,

सादर,

आपका

सुभाष पटवारी

शताब्दी समारोह समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते समिति के चेयरमैन श्री पी. के. अग्रवाल, पदाधिकारीगण एवं समिति के सदस्यगण।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

केंद्रीय विषय के रूप में सामने आता है। श्री अग्रवाल ने बताया कि शताब्दी समारोह की भव्यता के लिए एक बड़ी कमिटी बनाई गयी है जिसमें करीब 40 से 50 सक्रिय सदस्य हैं।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध जैन, श्री एन0 के0 ठाकुर, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री पी० के० सिंह, श्री प्रदीप जैन, श्री सुनील सराफ, सीए अरूण कुमार, श्री आशीष प्रसाद, श्री ए0 के0 पी0 सिन्हा, श्री पवन भगत, श्री अजय गुप्ता, श्री बिनोद कुमार, श्री राजा बाबु गुप्ता, श्री संजय वैध, श्री राजेश जैन, श्री आलोक पोद्दार, श्री अनिल पचीसिया, श्री राकेश कुमार, श्री अनिल कुमार महेश्वरी, श्री जे० पी० तोदी एवं श्री विकास कुमार सम्मिलित हुए।

महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहा संगठन

• बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स चला रहा कोर्स • ब्यूटिशियन, टेलरिंग आदि के पाठ्यक्रम कर रही महिलाएँ

बीते दस सालों में पाँच हजार से ज्यादा महिलाओं ने विभिन्न ट्रेडों में नि:शुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीसीसीआई में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य वर्ष 2014 से चल रहा है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (बीसीसीआई) परिसर में वर्ष 2014 से संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र पटना तथा इसके आसपास की ग्रामीण महिलाओं व छात्राओं को स्वरोजगार दिलाने में मददगार साबित हो रहा है। यहाँ कई तरह के कौशल विकास प्रशिक्षण नि:शुल्क महिलाओं को दिया जा रहा है। इनमें सिलाई-कढ़ाई, कम्प्यूटर, मेहंदी, ब्यूटिशियन पाठ्यक्रम आदि शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्य से जुड़ी गीता जैन बताती हैं कि यहाँ से विभिन्न विधाओं में पाँच हजार से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ब्यूटिशियन पाठ्यक्रम बाजार में काफी महंगा है।

यहाँ महिलाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस बाबत बीसीसीआई के सदस्य अजय गुप्ता बताते हैं कि यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद कई महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में ब्यूटी पार्लर, बुटिक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र आदि खोलकर स्वरोजगार की लौ जगा रही है और आर्थिक रूप से सबल बन रही।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.12.2024)

उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया जाए

उद्यमी पंचायत में चैम्बर ने दिया विस्तृत सुझाव

राज्य के उद्यमियों एवं निवेशकों की समस्याओं का निवारण तथा राज्य में निवेश को बढ़ाने हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में अधिवेशन भवन में उद्यमी पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष आशीष शंकर एवं महामंत्री पशुपति नाथ पाण्डेय ने भाग लिया। चैम्बर अध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी ने कई सुझाव दिया।

चैम्बर से दिए ये सुझाव : • 2024-2025 में उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ किया जाए जिससे कि औद्यौगिकरण को गति मिल सके • बियाडा की ओर से एमएसएमई की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सभी उद्यमों को संचालन के लिए अनुमति प्रदान किया जाना चाहिए • बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना किया जाना चाहिए साथ ही औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह-जगह पर इलाकों को चिन्हित कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगी जिससे कि प्रमोटर एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें • डोभी के अतिरिक्त गया और कैमूर के बीच दो अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना उद्योगों के लिए फायर क्लियरेंस देने • बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 का कार्यान्वयन सही रूप में करने • पावर इन्टर्नशीप यूनिट के लिए बिजली की दर को पूनर्निर्धारण करके पड़ोसी राज्यों के समकक्ष किया जाये अथवा उद्योगों को सब्सीडी के रूप में सहयोग राशि दी जानी चाहिए • सोलर पावर के प्रश्रय हेतु इसके सब्सिडी प्रावधान को लागू रखने • बिहार के महत्वपूर्ण स्थलों यथा-पावापुरी, काकोलत, बिक्रमशिला, भागलपुर, गया, नंदनगढ, लौरिया, बेतिया, केसरिया, बराबर की गुफा, सीतामढ़ी को भी पर्यटन स्थल का दर्जा देने • मेडिकल ट्रीटमेंट के क्षेत्र को विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन देने • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) आदि जैसे किसी संगठन के आदेश को नई इकाइयों पर ही लागू करने • बिहार में भूजल प्राधिकरण को चालू करने • हल्दिया और इलाहाबाद के बीच कार्गो की आवजाही हेतु पटना के रास्ते गंगा नदी में जल मार्ग में आवश्यक सुधार करने • राज्य में निर्यात की सुविधा प्रदान करने हेतु एक को-ऑपरेटिव संस्था का गठन करने • औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में घोषित विभिन्न प्रोत्साहनों/सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उपरी समय सीमा 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने • सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र के उद्योगों को पूंजी प्रदान करने के लिए एक सीड केपिटल फण्ड बनाना।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 5.12.2024)

राज्य में 28, 881 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी

बिहार के विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य विवेश प्रोत्साहन बोर्ड की सोमवार दिनांक 16.12.2024 को हुई। 58वीं बैठक में कई इकाइयों को स्टेज-वन क्लियरेंस दी गयी। इन निवेश प्रस्तावों में 28,881.55 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। इसके अलावा इस बैठक में 609.26 करोड़ के निवेश के लिए 55 इकाइयों को वित्तीय स्वीकृति दी गयी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैठक में सन पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, पिनाक्स स्टील इंडस्ट्रीज प्रालि, वर्धन बिजनेस एसोसिएट्स प्रा लि, संजीव वूलन मिल्स (ओपीसी), एसएलएम जी विवरेजेज, लीप एग्री लॉजिस्टिक्स (मधुबनी), रिगल रिसोर्सेज लिमिटेड, अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेचुरल्स डेयरी प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

पूर्व प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर चैम्बर की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसम्बर 2024 को हो गया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 27 दिसम्बर 2024 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गयी कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं उनके शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

चैम्बर की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा गया कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए यह सौभाग्य कि बात है कि डॉ. मनमोहन सिंह को दिनांक 3 नवम्बर 1995 को माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री के रूप में सम्मानित करने एवं उनके सुविचारों को सुनने का अवसर राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसाइयों को मिला। डॉ सिंह अपनी सरलता, ईमानदारी एवं उत्कृष्ट आर्थिक नीतियों के लिए जाने जाते थे।

चैम्बर की ओर से यह भी कहा गया कि 1991 में भारत जब गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस समय डॉ. मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाया गया था। उन्होंने ऐतिहासिक आर्थिक सुधार की शुरुआत की, जिसने भारत को आर्थिक उदारीकरण की राह पर आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश के दरवाजे खुले और देश के आर्थिक विकास को गति मिली।

चैम्बर की ओर से इस श्रद्धांजलि सभा में उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, कार्यकारणी सदस्य श्री विशाल टेकरीवाल, श्री अशोक कुमार, श्री सुनील सराफ, श्री पवन भगत, श्री राजा बाबु गुप्ता एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए।

चैम्बर में डॉ मनमोहन सिंह के साथ बैठक हुई थी

03 नवम्बर 1995 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित बैठक में तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह शामिल होने पटना पहुँचे थे।

चैम्बर के तत्कालीन अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा की डॉ. मनमोहन सिंह काफी सरल स्वभाव के थे। बैठक के दौरान उन्होंने बिहार के विकास में हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया था जिसे पूरा करने में उनका अहम योगदान और मार्ग दर्शन रहा। देश के आर्थिक उदारीकरण के लिए वे सदैव याद किये जायेंगे।

बैठक को संबोधित करते तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह। साथ में तत्कालीन अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष बिश्वनाथ झुनझुनवाला नहीं रहे

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ सदस्य बिश्वनाथ झुनझुनवाला जी का निधन दिनांक 30 दिसम्बर 2024 को हो गया।

स्व0 झुनझुनवाला जी मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। स्व0 झुनझुनवाला जी को लोग ''बिशु बाबु'' कह कर बुलाते थे। स्व0 झुनझुनवाला जी 29 अप्रील 1991 में चैम्बर के सदस्य बने थे। सत्र 1993–94 तथा 1994–95 में कोषाध्यक्ष एवं सत्र 2001–02 में वे चैम्बर के उपाध्यक्ष के पद पर थे।

स्व0 झुनझुनवाला जी को श्रद्धाजंलि अर्पित करने चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपतिनाथ नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता, श्री पवन भगत सहित कई सदस्य उनके आवास पर गये थे।

सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना की गयी कि दिवंगत आत्मा को चिर स्थाई शांति एवं उनके परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। यों तो झुनझूनवाला जी नहीं रहे परन्तु उनके कार्यकाल में उनके द्वारा कृत कार्यो को सदैव याद किया जायेगा और वे सबके दिलों में बने रहेंगे।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के (BIADA) परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 को श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से., प्रबन्ध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन शामिल हुए।

बैठक में प्रमुख रूप से उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयमी, पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, वित्त संसाधन की सचिव आशिमा जैन, उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष, राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव नीरज नारायण सहित बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्य उपस्थित थे।

• राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय • कुल 161 इकाइयों को 1,739.59 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गयी • सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए पटना में फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट, दिल्ली में एंबेसडर मीट कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है।

विशेष तथ्य : बिहार सरकार ने राज्य में निवेश एवं निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में कुछ विशेष कदम उठाये हैं। हाल ही में पटना में फूड प्रोसेसिंग इन्वेंस्टर मीट, दिल्ली में एंबेसडर मीट, देश के विभिन्न राज्यों में इन्वेस्टर्स मीट, उद्यमी पचायत एवं कई प्रभावशाली कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्यमी योजना के अतर्गत लाभुकों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि का वितरण भी किया गया। **(साभार : प्रभात खबर, 17.12.2024)**

2030 तक सार्वजनिक वाहन, 2040 तक मालवाहक भी बिजली से चलेंगे

बिहार में पर्यावरण संतुलित रखने की कवायद सरकार की ओर से की जा रही है। ऊर्जा, परिवहन, भवन निर्माण, उद्योग और कचरा सेक्टर को फोकस रख योजनाएँ तैयार की जा रही है। जलवायु अनुकूल कृषि की तैयारी हो रही है। पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाना तय किया गया है। आगामी वर्ष 2030 तक हर साल सौ इलेक्ट्रॉनिक बसें बिहार में चलायी जायेंगी। केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर इन बसों को पब्लिक टांसपोर्ट के रूप में चलाया जायेगा। पीपीपी मोड पर स्क्रैपिंग प्लांट लगेंगे, इसके साथ ही वर्ष 2030 तक पटना, गया और मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रॉनिक हल्के मालवाहकों को चलाने की तैयारी है। विद्युतीकृत माल वाहकों को वर्ष 2040 तक राज्य के सभी बड़े शहरों में चलाया जायेगा।

चरणवार खत्म किये जायेंगे कोयला बिजली संयंत्र : पर्यावरण को नियंत्रित रखने के लिए ऊर्जा सेक्टर को फोकस किया गया है। स्मार्ट ग्रिड बनाये जायेंगे। बिजली की हानि 15 फीसदी तक करने का वर्क प्लान बनाया गया है। अभी 15 फीसदी से अधिक बिजली की हानि हो रही है। राजगीर और मोतिहारी में लाइट हाउस कार्यक्रम चलाये जायेंगे। चरणवार कोयला बिजली संयंत्रों को खत्म करने पर काम किया जायेगा। एनटीपीसी के साथ मिलकर राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार इस पर काम किया जायेगा।

राज्य में गैर परपरागत ऊर्जा में 20 हजार करोड़ का मार्केट : राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा में 20 हजार करोड़ रुपये के मार्केट होने का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, जीविका की ओर से इस पर कार्य किये जा रहे हैं। जे-वायर्स और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान के लिए जीविका दीदियाँ काम कर रही है। इससे राज्य के लगभग 20 लाख लोग सीधे लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 में शुरू की थी पहल : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जलवायु को बेहतर रखने और कम कार्बन के लिए 2020 में रोडमैप बनाने ही पहल की थी। मुख्यमत्री ने वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित किया था। राज्य की जलवायु को बेहतर करने का रोडमैप बताया था। 12 फरवरी, 2021 को बिहार सरकार (बीएसपीसीबी) और यूएनइपी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इसी आलोक में कार्ययोजना तैयार की गयी है।

(साभार : प्रभात खबर, 17.12.2024)

5686 करोड़ का निवेश, छह साल में 42 लाख लोगों को मिला रोजगार

15 साल में मध्यम और लघु उद्योग के 29 लाख यूनिट लगे

सूबे में पिछले 15 साल में मध्यम एवं लघु, उद्योग सेक्टर की इकाइयों की संख्या में 29.27 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। वहीं छह साल में इस सेक्टर में 5686.84 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 42.24 लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इसका खुलासा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी राज्यों पर संख्यिकी हैंडबुक 2023-24 से हुआ है। हैंडबुक के अनुसार बिहार में 2001-02 (तीसरी जनगणना) में मध्यम एवं लघु उद्योग की इकाइयों की कुल संख्या 5.19 लाख थी, लेकिन वर्ष 2015-16 (एनएसएएस 73 चरण) में यह आंकड़ा 34.46 लाख हो गयी। इसी तरह मध्यम एवं लघु इकाइयों में निवेश की राशि 2001-02 (तीसरी जनगणना) में 2718.61 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2006-07 (चौथे जनगणना) में बढ़ कर 8405.45 करोड़ हो गया, जबकि इस सेक्टर में उत्पादन की संख्या 2001-02 (तीसरी जनगणना) में 3698.27 करोड़ था, जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर 16,709.30 करोड़ हो गया। वहीं, मध्यम एवं लघु उद्योग सेक्टर में रोजगार की संख्या में काफी अच्छी बढ़ोतरी रही। रिजर्व बैंक के हैंडबुक के अनुसार 2001-02 में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 10.83 लाख लोगों के पास रोगजार था, लेकिन 2015-16 (एनएसएएस 73 चरण) में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 53.07 लाख हो गयी।

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गयी हैंडबुक

मध्यम एवं लघु उद्योग की कुल इकाई		रोजगार की संख्या	
2001-02	5.19	2001-02	10.83
2006-07	14.70	2006-07	28.26
2015-16	34.46	2015-16	53.07
	(लाख में)		(लाख में)
कुल निवेश		**उत्पादन**	
2001-02	2718.6	2001-02	3698.27
2006-07	8405.45	2006-07	16709.30
	(करोड़ में)		(करोड़ में)

(साभार : प्रभात खबर, 18.12.2024)

चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.45 प्रतिशत बढ़ कर 15.82 लाख करोड़

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। चालू वित्त वर्ष में अब तक यानी 17 दिसम्बर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 16.45

(शेष पृष्ठ 6 पर)

उद्यमियों एवं निवेशकों की समस्याओं के निवारण हेतु उद्यमी पंचायत का आयोजन

बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

बैठक में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय।

राज्य के उद्यमियों एवं निवेशकों की समस्याओं के समाधान तथा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, बिहार श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0 की अध्यक्षता में उद्यमी पंचायत का आयोजन दिनांक 4 दिसम्बर, 2024 को अधिवेशन भवन, पुराना सचिवालय में आयोजित हुआ।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय सम्मिलित हुए। चैम्बर अध्यक्ष ने इस बैठक में उद्योग संबंधित समस्याओं पर सुझाव भी दिये।

(पृष्ठ 5 का शेष)

प्रतिशत बढ़ कर 15.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। 18.12.2024 को जारी सरकारी आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गयी। इस दौरान एडवांस टैक्स कलेक्शन में सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गयी और यह 7.56 लाख करोड़ रुपये हो गया। कुल कर संग्रह में 7.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कॉरपोरेट कर और 7.97 लाख करोड़ रुपये का गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह भी शामिल है। आलोच्य अवधि में 40, 114 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) भी एकत्र किया गया। प्रत्यक्ष कर वसूली में कॉरपोरेट जगत और उद्यमियों से ज्यादा हिस्सा आम आदमी का रहा है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में कॉरपोरेट कर, व्यक्तिगत आयकर और एसटीटी शामिल होते हैं।

रुपये 3.39 लाख करोड़ का रिफंड जारी : इस अवधि के दौरान 3. 39 लाख करोड़ रुपये के कर रिफंड जारी किये गये, जो सालाना आधार पर 42. 49 प्रतिशत अधिक है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा जो एक साल पहले की समान अवधि के संग्रह की तुलना में 20.32 प्रतिशत अधिक है। **(साभार : प्रभात खबर, 19.12.2024)**

बैंक खाते में चार नॉमिनी जोड़ने को मंजूरी मिली

लोकसभा में बैंकिंग कानून विधेयक-2024 ध्वनिमत से पारित

लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक-2024 ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक से बैंक खाताधारक को अपने खाते में चार नॉमिनी जोड़ने का अधिकार मिलेगा।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि इससे बैंकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत होगा और ग्राहकों तथा निवेशकों के हित सुरक्षित होंगे। उन्होंने विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम-1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय स्टेट बैंक-1955 और बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) 1980 में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हैं। इनका उद्देश्य बैंकिंग से जुड़े शासन मानकों में सुधार करना और बैंकों द्वारा आरबीआई को दी जाने वाली सूचना में एकरूपता लाना है। गौरतलब है कि इस विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 2023-24 के बजट भाषण में की थी।

विधेयक की खास बातें

नामिनी की सीमा बढ़ेगी : इस विधेयक में प्रति बैंक खाते के लिए नॉमिनी की संख्या को मौजूदा एक से बढ़ाकर चार करने का प्रस्ताव है। इससे जमाकर्ताओं, बैंक लॉकर धारकों और उनके नॉमिनी को फायदा होगा।

बिना दावे की राशि का निपटारा : बिना दावे वाले डिविडेंड, शेयर और बांड के ब्याज या आय को निवेशक एजूकेशन और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करेगा। इससे लोगों और निवेशकों को रिफंड दावा करने की सुविधा प्राप्त होगी।

पर्याप्त ब्याज परिभाषित होगा : व्यक्तियों के लिए पर्याप्त ब्याज की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा, जिसकी सीमा पाँच लाख (1968 में निर्धारित) से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया जाएगा।

रिपोर्टिंग समय बदलेगा : बैंकों द्वारा आरबीआई को की जानी वाली रिपोर्टिंग तिथि में बदलाव का प्रस्ताव भी है। रिपोर्ट अब पखवाडे, महीने या तिमाही के आखिरी दिन जमा करनी होगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 4.12.2024)**

बिजली खपत नौ हजार मेगावाट होने का अनुमान

• 8005 मेगावाट अभी है राज्य की अधिकतम खपत • पंकज पाल ने केन्द्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल से की मुलाकात • राज्य की निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने का किया अनुरोध

अगले साल बिहार में बिजली की मांग नौ हजार मेगावाट पहुँचने का अनुमान है। राज्य की अधिकतम खपत अभी 8005 मेगावाट है। अगले साल होने वाली संभावित खपत के मद्देनजर बिहार सरकार ने राज्य की निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने का अनुरोध किया है।

सूबे के ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने केन्द्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ऊर्जा सचिव ने बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुए कार्यों का ब्योरा रखा। साथ ही राज्य की बिजली परियोजनाओं को अविलंब मंजूर करने का भी अनुरोध किया।

ऊर्जा सचिव ने केन्द्रीय ऊर्जा सचिव से बिहार मे प्रस्तावित 59 पावर सब स्टेशनों के प्रस्ताव पर चर्चा की और इनके निर्माण के लिए योजना स्वीकृति का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा सचिव को बिहार में रिवैम्पड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत किए जा रहे कार्यों के विषय में भी जानकारी दी और इसके लिए शेष किस्तों को जारी करने का अनुरोध किया। ऊर्जा सचिव ने आगामी साल के दौरान बिहार में तेजी से बढ़ती बिजली की मांग एवं आकलन पर एक विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अगले साल राज्य में 8900- 9000 मेगावाट तक बिजली की अधिकतम मांग पहुँचने का अनुमान है। इसके आलोक में उन्होंने सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से निर्माणाधीन थर्मल पावर परियोजना मसलन बक्सर की दो यूनिट, थर्मल पावर स्टेशन नॉर्थ कर्णपुरा की एक यूनिट तथा बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन की एक यूनिट को ऊर्जान्वित करते हुए उनसे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। केन्द्र सरकार ने बिहार की बिजली परियोजना पर तेजी से काम कराने का आश्वासन दिया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.12.2024)**

VISIONS OF STUDENTS OF DPS, PATNA AFTER EDUCATIONAL VISIT TO THE BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES ON 23RD NOVEMBER 2024

Hitiksha Agarwal
Class- XI

Vision :
We envision a bright future for Bihar driven by innovation, sustainable development, and inclusive growth. With its rich cultural heritage, abundant resources, and a growing focus on education and entrepreneurship, Bihar has immense potential to emerge as a hub for industry and trade.

Shanaya Prakash
Class- XI

Vision :
Bihar has a rich history, cultural heritage, and abundant human resources. Despite this, our state faces numerous challenges in key areas such as education, healthcare, infrastructure, employment & agriculture.
For farming farmers needs to be introduced of modern farming techniques.

Devarsh Swaroop
Class- XI

Vision :
Bihar's future in the commerce sector looks promising, driven by strategic investments in infrastructure, digitalization, and skill development.
Enhanced access to technology and internet connectivity will fuel e-commerce and fintech growth.

Yuvraj Jain
Class- XI

Vision :
Bihar has immense potential for growth and development due to its rich cultural heritage, fertile land, and human capital.

Raghav Singhania
Class- XI

Vision :
Bihar's future can be shaped by focusing on education, healthcare and infrastructure. Empowering the youth with quality education and skills will break the cycle of poverty. Building better roads, hospitals, and job opportunities will connect people to a brighter future.

Aarush Anand
Class- XI

Vision :
Improve Infrastructure: Investing in better roads, transportation, and digital connectivity will improve supply chains and attract investment.
Support for MSMEs : Providing easy access to credit, technology, and market linkages will help small and medium enterprises grow and compete.
Promote Tourism: Leveraging Bihar's historical and cultural assets could boost the tourism sector and related businesses.

Ayush
Class- XI

Vision :
Bihar's commerce sector is set for a transfor -mative future, with a focus on improving infrastructure, fostering entrepreneurship, and expanding digital services. Enhanced skill development programs will equip the workforce for new-age industries.

Naisha Gupta
Class- XI

Vision :
Bihar holds immense potential for growth and development. It can focus on diversification of its economy beyond agriculture, investment in manufacturing sector. Enhancing access to quality education at all levels could transform Bihar into an educational hub.

Tanmay Poddar
Class- XI

Vision :
Bihar's future holds immense potential with improvements in education, infrastructure, and governance. By focusing on skill development, diversifying industries, and addressing environmental challenges, the state can achieve sustainable growth.

Navya Agarwal
Class- XI

Vision :
The training provided by the Bihar Chamber of Commerce should be more advertised online, so more people get to know about this and this would also create awareness.

Shaurya Vardhan
Class- XI

Vision :
AI integration - My suggestion to the team is that we must integrate some basic AI courses along with the ongoing computer and tally courses
Entrepreneurship Course- I suggest BCCI team to launch a course that boost business mind across the State.

Shivesh Poddar
Class- XI

Vision :
With continued investment in infra-structure and skill development, Bihar can emerge as a leading hub for innovation and sustainable development.

Ease of doing Business के तहत उद्योग एवं व्यापार संघों के साथ संवाद बढ़ाने हेतु बैठक

Ease of doing Business के तहत उद्योग एवं व्यापार संघों के साथ संवाद बढ़ाने हेतु श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 राज्य-कर आयुक्त-सह- सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को एक बैठक कर भवन, पटना में आयोजित हुई।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, कार्यकारिणी सदस्य सी0ए0 श्री अरूण कुमार एवं श्री अभिजीत बैद सम्मिलित हुए।

उत्तर एवं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय को राज्य सरकार की हरी झंडी

देश में एक राज्य एक ग्रमीण बैंक की तैयारी चल रही है। इसके लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग ने चार नवम्बर को राज्य सरकार को पत्र लिखा, बिहार सरकार ने एक राज्य एक ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर अपनी सहमति दे दी है। इसके साथ ही उत्तर एवं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय को एक तरह से हरी झंडी मिल गयी है। विलय के बाद शाखाओं की संख्या के आधार पर ग्रामीण बैंक, राज्य का सबसे बड़ा बैंक बन जायेगा। उम्मीद है कि एकीकरण के बाद बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) होगा। पीएनबी फिलहाल दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है। दोनों ग्रामीण बैंकों के विलय से ग्रामीण बैंक का कार्य क्षेत्र पूरा बिहार हो जायेगा, कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

विलय से ग्रामीण बैंक की बढ़ेगी कार्यक्षमता : वर्ष 2005 में बिहार में 16 ग्रामीण बैंक थे। लेकिन केन्द्र सरकार की ग्रामीण बैंकों का विलय शुरू हो गया। वर्ष 2005 में भागलपुर, बांका, मुंगेर और बेगूसराय ग्रामीण बैंकों का विलय कर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी। वर्ष 2006 में भोजपुर और रोहतास ग्रामीण बैंक, मगध ग्रामीण बैंक, पाटलिपुत्रा ग्रामीण बैंक के साथ नालन्दा ग्रामीण बैंक का विलय कर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी। वहीं, सारण, गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, मिथला, वैशाली और चंपारण ग्रामीण बैंक का विलय कर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई राज्य में ग्रामीण बैंकों की संख्या 16 से घटकर पाँच रह गयी। 2008 में कोशी ग्रामीण बैंक का विलय उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया। एक जनवरी 2019 को मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक स्थापना की गयी।

बिहार के दोनों ग्रामीण बैंकों का नेटवर्क व व्यापार (सितम्बर 24)

	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक
जिला	18	20
शाखाएँ	1027	1078
जमा राशि	19266	25846
ऋण राशि	14570	12517
कुल राशि	33174	38199
सीडी अनुपात	75.72	49.44
राज्य का कैपिटल	286	214
पेड अप कैपिटल	1911	1432
कुल घाटा	737	1488

(राशि करोड़ में)

(साभार : प्रभात खबर, 7.12.2024)

एटीएम में नकदी निकासी के नियम बदले जाएँगे

आरबीआई एटीएम बूथों पर नकदी निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब देशभर के चुनिदा एटीएम में नकद वापसी (कैश रिट्रैक्शन) सुविधा को फिर से शुरू किया जाएगा। इसमें तय समय के भीतर ग्राहक द्वारा ग्रहण नहीं की गई नकदी को एटीएम मशीन वापस खींच लेगी। यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा और ठगी रोकने लिए उठाया गया है।

क्या है सुविधा : एटीएम में नकद वापसी ऐसी सुविधा है, जिसमें यदि ग्राहक निर्धारित समय के भीतर कैश ट्रे से नकदी नहीं उठाता है, तो मशीन उस नकदी को वापस खींच लेती है। पहले इस सुविधा का दुरुपयोग किया गया था, जहाँ जालसाज आंशिक राशि उठा लेते थे लेकिन मशीन लॉग में पूरी राशि की निकासी का रिकॉर्ड दर्ज होता था। इससे बैंकों को भारी चपत लग रही थी। इस कारण आरबीआई ने वर्ष 2012 में इस सुविधा को बंद कर दिया था।

खोजा था नया तरीका : हालांकि, इसके बाद जालसाजों ने एटीएम बूथ पर धोखाघड़ी करने के लिए नया तरीका निकाल लिया। वे एटीएम की कैश-ट्रे के आगे नकली कवर लगाकर उसे बंद कर देते हैं, जिससे निकली गई नकदी फंस जाती है और ग्राहक को दिखती नहीं है। उसे लगता है कि लेनदेन असफल हो गया है और वह चला जाता है। इसके बाद जालसाज वहाँ पहुँचकर नकली कवर को हटा देते हैं और नकदी निकाल लेते हैं। इससे निपटने के लिए आरबीआई ने अधिक तकनीकी सुरक्षा के साथ नकद वापसी व्यवस्था को लागू करने के निर्देश बैंकों को दिए हैं।

सबसे पहले यहाँ लागू होगी सुविधा : बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे उन एटीएम में इस सुविधा को फिर से सक्रिय करें, जहाँ इस प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना अधिक है। इसके लिए इस तकनीक को लागू करने के लिए बैंकों से अपनी एटीएम मशीनों को अपग्रेड करने के लिए भी कहा गया है।

ग्राहकों को होगा फायदा : यह तकनीक विशेष रूप से उन मामलों में कारगर होगी जहाँ ग्राहक गलती से पैसे निकालना भूल जाते हैं या किसी कारणवश पैसे नहीं ले पाते। साथ ही, यदि कोई धोखेबाज किसी अन्य ग्राहक के पैसे लेने की कोशिश करता है, तो यह तकनीक उसे भी रोकने में मददगार होगी।

इन बातों का ध्यान रखें : • एटीएम पर पैसा निकालते वक्त सतर्कता बरतें। यदि नकदी नहीं निकलती है या फसी हुई प्रतीत होती है, तो तुरंत बैंक को सूचित करें • एटीएम के कैश निकलने वाले स्लॉट की जाँच करें। देखें वहाँ कोई असामान्य कवर या उपकरण तो नहीं लगा है। (साभार : हिन्दुस्तान, 9.12.2024)

जमीन-मकान व फ्लैट पर लोन लेने के लिए अब रजिस्ट्री कार्यालय से ऑनलाइन मिलेगा नो ड्यूज

• राज्य के बाहर रहने वालों के लिए भी होगी आसानी • राज्य के 50 रजिस्ट्री कार्यालय दिनांक 16.12.2024 से होंगे ऑनलाइन • 137 रजिस्ट्री कार्यालय जनवरी से पेपरलेस होंगे

जमीन-मकान-फ्लैट पर बैंक से लोन लेने के लिए अब रजिस्ट्री कार्यालय से ऑनलाइन नो-ड्यूज (संपत्ति अवधारणा प्रमाण पत्र) मिलेगा। इसके लिए अब आम लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसकी शुरूआत अगले महीने से होगी। इसका फायदा बिहार समेत देश के अलग-अलग राज्यों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। इसकी शुरूआत होने के बाद आप घर बैठे ऑन लाइन अपने संपत्ति पर बैंक से लोन लेने के लिए राजिस्ट्री

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) की 58वीं बैठक

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) की 58वीं बैठक दिनांक 16 दिसम्बर. 2024 को श्री प्रत्यय अमृत, भा0प्र0से0, विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से पूर्व अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल उपस्थित हुए।

कार्यालय में संपत्ति अवधारणा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे। रजिस्ट्री कार्यालय से बनने वाले प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर बैंक को दे सकेंगे।

निबंधन कार्यालय से ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेकर जाना होगा

"राज्य के 50 निबंधन कार्यालयों (रजिस्ट्री कार्यालय) में ऑनलाइन सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही सभी 137 निबंधन कार्यालय जनवरी से पेपर लेस हो जाएँगे। इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। निबंधन कार्यालय से ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेकर जाना होगा। कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सभी कार्य समय सीमा के अंदर पारदर्शी तरीके से निष्पादित होगा।"

– विनोद सिंह गुंजियाल, सचिव
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार
(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 14.12.2024)

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

GST पूर्व के बकाया समाप्त करने का सुनहरा अवसर

बिहार कराधान विवाद समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन देने की अंतिम तिथि 22.02.2025 है। दिनांक 22.02.2025 तक आवेदन दाखिल करें एवं इस योजना का लाभ उठाएँ।

योजना के लाभ

- सभी प्रकार के जुर्माना, शास्ति एवं व्याज के वकाया राशि में 10 प्रतिशत या पूर्व से विवाद के मद में जमा राशि, दोनों में जो अधिक हो, के भुगतान पर विवाद का समाधान किए जाने के प्रावधान है।
- बकाया प्रपत्र C/F दाखिल किए जाने पर प्रपत्र से संबंधित कर से 100 प्रतिशत छूट
- अन्य निर्धारित कर के मामले में विवादित कर की राशि का 35 प्रतिशत या पूर्व से विवाद के मद में जमा राशि, दोनों में जो अधिक हो, के भुगतान पर विवाद का समाधान किए जाने का प्रावधान है।
- निर्धारित कर, ब्याज, पेनाल्टी अथवा फाईन के किसी विवाद के निपटारे हेतु देय राशि, पूर्व में किसी भी मद में संगत अधिनियम के अंतर्गत विवाद के संदर्भ में जमा हो तो, उस राशि को समाधान राशि का भुगतान माना जायेगा।
- 30 जून 2017 को या उससे पहले समाप्त होने वाले किसी अवधि के संबंध में पारित कोई आदेश जो किसी प्राधिकार के समक्ष दिनांक 31 जनवरी 2024 को लंबित हो, का समाधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकेगा।
- इस हेतु आवेदन नियमानुसार संबंधित अंचल को ई-मेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। सभी अंचलों का ई-मेल आईडी विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध है। चेक पोस्ट पर पारित शास्ति अधिरोपण के मामलों को संबंधित अंचल में भेजे जाएँगे, जिनके क्षेत्राधिकार में वह चेकपोस्ट अवस्थित था।
- यदि विवाद के लिए कोई अपील, रिवीजन दाखिल नहीं भी किया गया है, तो भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- यदि विवाद के विरूद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया है, तब भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- शीघ्रता करे एवं इस हेतु आवेदन अपने वाणिज्य-कर अंचल में अविलंब दाखिल करें।

राज्य-कर आयुक्त-सह सचिव
वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना
(साभार : हिन्दुस्तान, 12.12.2024)

माल एवं सेवा कर में संशोधन से संबंधित वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 504, 505 एवं 506 दिनांक 13 दिसम्बर. 2024 की प्रति माननीय सदस्यों की सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। यदि किसी सदस्य को नहीं मिली हो तो कृपया चैम्बर से सम्पर्क करें।

डेबिट कार्ड से भी हो सकती है ठगी!

मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है सावधानी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी रखना ताकि हर तरह से पुख्ता हो आपके पैसों की सुरक्षा।

हम में से अधिकतर लोग बड़े भुगतान के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह सीधे खाते से जुड़ा होता है और आसानी से उपलब्ध होता है। लेकिन डेबिट कार्ड भी धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से हो सकती है। इसलिए इन जोखिमों के बारे में जानना और सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

कैसे होती है धोखाधड़ी?

1. **स्किमिंग :** यह वह प्रक्रिया है जिसमें धोखेबाज एटीएम या कार्ड स्वाइप मशीन पर एक उपकरण लगाते हैं जो कार्ड की जानकारी चुरा लेता है।
2. **फिशिंग :** इसमें धोखेबाज नकली ईमेल, एसएमएस या कॉल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी जैसे-कार्ड नंबर, पिन और ओटीपी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
3. **क्लोनिंग :** डेबिट कार्ड की जानकारी का उपयोग करके एक डुप्लीकेट कार्ड बनाया जाता है।
4. **मैग्नेटिक स्ट्रिप डेटा चोरी :** पुराने डेबिट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसमें जानकारी मौजूद होती है। इसे चुराकर धोखेबाज पैसे निकाल सकते हैं।
5. **ऑनलाइन धोखाधड़ी :** असुरक्षित वेबसाइट्स पर कार्ड की जानकारी डालने से यह हैकर्स के हाथ लग सकती है। एक बार जानकारी चोरी हो जाने के बाद ठग उस कार्ड का उपयोग ऑनलाइन खरीदारी करने, नकली कार्ड बनाने या ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए करते हैं। यह अपराध, विशेष रूप से ऑनलाइन, तेजी से बढ़ रहा है।

ये सावधानियाँ बरतें....

पिन को गोपनीय रखें : डेबिट कार्ड का पिन नंबर सबसे गोपनीय जानकारी है। इसे किसी के साथ साझा न करें और न ही इसे कहीं लिखकर रखें। एटीएम में पिन डालते समय कीपैड को ढक लें

एसएमएस-ईमेल अलर्ट रखें : बैंक खाते के लिए एसएमएस और ईमेल अलर्ट सेवा चालू रखें। इससे हर ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और किसी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोकना संभव होगा

फिशिंग ईमेल से बचाव : किसी भी अनजान ईमेल, मैसेज या कॉल पर बैंक खाते से जुड़ी जानकारी साझा न करें। धोखेबाज अक्सर आकर्षक ऑफर्स का झांसा देकर जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं

सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करें : ऑनलाइन भुगतान या खरीदारी करते समय केवल सुरक्षित और विश्वसनीय वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करें

'बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 (ग्लोबल समिट)' उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित

उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर, 2024 को पटना के ज्ञान भवन में "बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 (ग्लोबल समिट)" आयोजित हुआ।

उक्त कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री नमित पटवारी सम्मिलित हुए।

सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें : ऑनलाइन शॉपिंग करते समय केवल ऐसी वेबसाइट्स का उपयोग करें, जो 'https://से शुरू होती हों

ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करें : कॉन्टैक्टलेस भुगतान का उपयोग करते समय, कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करें ताकि यदि कार्ड गुम हो जाए तो बड़ी रकम का नुकसान होने से बचा जा सके

अकाउंट स्टेटमेंट चेक करें : बैंक खाते का स्टेटमेंट नियमित रूप से जांचते रहें और यदि कोई अज्ञात ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक से संपर्क करें।

(साभार : दैनिक भास्कर, 15.12.2024)

पैन 2.0 सबको बनवाना जरूरी नहीं, रुपये 50 देकर पा सकते हैं

आयकर विभाग के परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। मकसद पैन के इस्तेमाल को और सुरक्षित बनाना है। इसके जरिये ऑथेंटिकेशन आसान होगा। नए पैन 2.0 में एक क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करके आसानी से वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। पैन 2.0 को लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। इसे समझते हैं....

पैन कार्ड 2.0 वो सब कुछ, जो आपके लिए जानना जरूरी है

1. क्या पुराना पैन अमान्य होगा?

नहीं। वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो नए पैन के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें यह पैन 2.0 मिलेगा।

2. नया पैन कैसे मिलेगा?

अगर क्यूआर कोड वाला नया पैन चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यह रजिस्टर्ड ईमेल पर मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।

3. इसके लिए कहाँ आवेदन दें?

दो एजेंसियाँ अधिकृत हैं। ये प्रोटीन (पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) व यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लि. (यूटीआईआईटीएसएल) हैं। रीप्रिंट के लिए किस एजेंसी से संपर्क करना है, यह जानने के लिए अपने पैन कार्ड के पीछे चेक करें।

4. आवेदन कैसे करें?

जिनका पुराना पैन प्रोटीन के जरिये प्रोसेस है या आईटीडी के ई-फिलिंग पोर्टल पर 'इंस्टेंट ई-पैन' सुविधा के जरिये प्राप्त किया है। ऐसे धारक पैन रीप्रिंट के लिए https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/reprintEPan.html पर आवेदन करें। यहाँ पैन, आधार जैसी जानकारी भरकर और ओटीपी जैसी औपचारिकताएँ पूरी करके पैन डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, जिनका पैन यूटीआई आईटीएसएल द्वारा जारी है, उन्हें https://www.pan.utiitsl.com/reprint.html पर जाना चाहिए।

5. क्यूआर कोड वाले पैन पर कितना शुल्क है?

अगर फिजिकल कार्ड चाहिए तो 50 रुपए का शुल्क चुकाना होगा।

6. पैन कितने दिन में मिलेगा?

अगर फिजिकल फॉर्म में शुल्क जमा किया है तो कार्ड रीप्रिंट करके रजिस्टर्ड पते पर भेजा जाएगा। नया पैन कार्ड 20 दिनों में आ जाना चाहिए।

7. नए पैन से क्या फायदा होगा?

बायोमेट्रिक और आधार इंटीग्रेशन से पहचान की चोरी और पैन का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा। पैन 2.0 से टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.12.2024)

विरोध कम करने के लिए कंपनी ने 3% की जगह 25 पैसे प्रति यूनिट छूट का दिया प्रस्ताव

स्मार्ट मीटर : 300 यूनिट बिजली खपत पर अप्रैल से 29.52 रुपए अधिक छूट

राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लगातार विरोध चल रहा है। लोगों का आरोप है कि अधिक बिल आ रहा है। इस विरोध को कम करने के लिए बिजली कंपनियों द्वारा लगातार जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले लोगों को बिजली दर में छूट देने का नया प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिया है। इसमें 3 प्रतिशत की जगह प्रति यूनिट 25 पैसे की छूट देने की बात है। इसपर लोगों का पक्ष लेने के बाद आयोग फैसला सुनाएगा। आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद 300 यूनिट बिजली खपत करने वाले शहरी उपभोक्ताओं को वर्तमान की तुलना में 29.52 रुपए अधिक की छूट मिलेगी। अभी तक राज्य के शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलाकर 55 लाख से अधिक परिसरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा हो गया है। राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या 2.7 करोड़ है।

नए साल में आयोग करेगा जनसुनवाई : आयोग ने बिजली कंपनियों को प्रस्ताव की त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया है। इसपर अगले 10 दिन के अंदर केस एडमिट करने की सुनवाई होगी। इसके बाद नए साल में उत्तर बिहार के दो और दक्षिण बिहार के दो जिला मुख्यालयों में जनसुनवाई कर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा उपभोक्ताओं का पक्ष सुना जाएगा। अंतिम जनसुनवाई बिजली कंपनी मुख्यालय स्थिति आयोग के कोर्ट रूम में होगी। इसके बाद आयोग फैसला सुनाएगा। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू होगा। जनसुनवाई में लिखित और मौखिक सुझाव लिया जाएगा। वहीं, डाक, कूरियर और ई-मेल से भी लिखित सुझाव देने की सुविधा है।

बिजली कंपनी के प्रस्ताव : • एचटीएसएस को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दर में बढोतरी नहीं • ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के स्लैब को एक कर बिजली की दर 7.42 रुपए प्रति यूनिट करना • कोल्ड स्टोरेज के लिए नई श्रेणी बनाना और निजी पंपसेट के बराबर दर रखना • स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक उपयोग करने के जुर्माना से निजात देना • स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कृषि और वाणिज्यिक

बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 (ग्लोबल इंभेस्टर्स समिट) उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित

उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा "बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024" (ग्लोबल इंभेस्टर्स समिट) का आयोजन दिनांक 20 दिसम्बर. 2024 को पटना के ज्ञान भवन में किया गया।

इस समिट में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन सम्मिलित हुए।

उपभोक्ताओं पर लगने वाले पावर फैक्टर सरचार्ज से मुक्ति देना • 10 किलोवाट से ऊपर के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए टीओडी टैरिफ • ग्रीन एनर्जी की खरीदारी में 1.17 रुपए प्रति यूनिट अधिक लगने वाली राशि की मंजूरी देना।

ऐसे समझें मिलने वाली छूट का गणित

3 प्रतिशत छूट मिलने पर

• 100 यूनिट का बिल	412 रुपए
• इसके बाद की 100 यूनिट का	522 रुपए
• इसके बाद की 100 यूनिट का	552 रुपए
• कुल बिजली बिल	1516 रुपए
• इसमें 3 प्रतिशत छूट	45.48 रुपए
• जमा किया जाने वाला बिल	1470.52 रुपए

यह अभी से 29.52 रुपये कम है।

25 पैसे प्रति यूनिट छूट पर

• 100 यूनिट का बिल	387 रुपए
• इसके बाद की 100 यूनिट का	527 रुपए
• इसके बाद की 100 यूनिट का	527 रुपए
• कुल बिजली बिल	1441 रुपए

यह अभी से 29.52 रुपये कम है।

राज्य सरकार के अनुदान के बाद प्रति यूनिट बिजली दर

• 0 से 100 यूनिट तक	4.12 रुपए प्रति यूनिट
• 100 यूनिट से अधिक	5.52 रुपए प्रति यूनिट

(साभार : दैनिक भास्कर, 8.12.2024)

बिहार में बंद होगी बिजली की लुकाछिपी

आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने पर सालना खर्च होंगे 900 करोड़, जरूरत के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगेंगे, 10 वर्षों में 1000 करोड़ खर्च किये जाएँगे ट्रांसफॉर्मर खरीद पर

बिहार में बिजली की लूकाछिपी बंद होगी। कंपनी ने आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर करने पर काम शुरू कर दिया है। निर्बाध बिजली के लिए कंपनी ने हर साल औसतन 900 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। इस पैसे से तार, पोल, ट्रांसफॉर्मर के साथ ही अन्य सामग्री की खरीदारी की जाएगी। नए उपकरण लगाए जाएँगे और पुरानों को बदला जाएगा। जरूरत के अनुसार गली-मोहल्ले में वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएँगे। कंपनी ने 25 केवीए, 63 केवीए, 100 केवीए, 200 केवीए और 315 केवीए का ट्रांसफॉर्मर खरीद करने का निर्णय लिया है। पिछले पाँच वर्षों में कंपनी ने ट्रांसफॉर्मर खरीद में मात्र 223 करोड़ खर्च किए हैं। अब अगले 10 वर्षों में 1000 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। लो-टेंशन केबल, 11 केवी व 33 केवी के केबल व तार बदलने में 10 वर्षों में 600 करोड़ खर्च होगे। पाँच और 10 एमवीए के ट्रांसफॉर्मर की खरीद पर 300 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे। सिंगल व थ्री फेज, एलटी, 11 केवी व 33 केवी में मीटर लगाने पर दस वर्षों में 65 सौ करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है।

अब 24 घंटे निर्बाध बिजली : अभी शहरी इलाकों में 23-24 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 20-22 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। कंपनी चाहती है कि सभी जगह चौबीस घंटे बिजली मिले। अभी ट्रिपिंग अधिक होती है। इसलिए आपूर्ति व्यवस्था बेहतर करने के लिए हर साल 900 करोड़ खर्च किए जाएँगे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.12.2024)

छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए बैंक से मिलेगा लोन, उपभोक्ताओं की मदद करेंगे सूर्य मित्र

पीएम सूर्य घर बिजली योजना, राज्य में ग्रीन एनर्जी बढ़ाने की तैयारी

छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए उपभोक्ताओं को बैंक से लोन मिलेगा। लोगों की मदद के लिए बिजली कंपनी ने अपने कर्मियों को सूर्य मित्र बनाया है। यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू की गई है। ताकि, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आने वाले आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया जा सके। योजना के तहत छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने पर अनुदान मिल रहा है। इसमें तेजी लाने के लिए डिविजन वार सूर्य मित्र के रूप में कर्मियों को नामित किया गया है।

"प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने पर अनुदान मिल रहा है। इस कार्य को तेजी से करने के लिए डिविजन वार सूर्य मित्र के रूप में कर्मियों को नामित किया गया है।"

– **मनीष कांत**, अधीक्षण अभियंता

पटना में सूर्य मित्र का नाम और मोबाइल नंबर जारी

• पेसू पूर्वी सर्किल का व्हाटसएप नंबर	6287242960
• बांकीपुर डिविजन (ईप्सा ईश)	7369009754
• कंकड़बाग वन	7541814846
• कंकड़बाग टू	7369009763
• पटना सिटी	7541814843
• गुलजारबाग	7541814845
• राजेन्द्र नगर	9264193901

(साभार : दैनिक भास्कर, 13.12.2024)

अक्षय ऊर्जा नीति तैयार निवेशकों को मिलेगी छूट

राज्य कैबिनेट से पारित कराने की तैयारी, मंजूरी मिलने पर होगी लागू

• 5 साल के लिए प्रभावी होगी नई नीति, 25 हजार करोड़ हो सकता है सोलर में निवेश • गैर परम्परागत बिजली का कोटा बढ़ाने की है कवायद

बिहार की अक्षय ऊर्जा नीति (रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी) बनकर तैयार हो गई है। राज्य में गैर परम्परागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तैयार इस नीति में निवेशकों को कई तरह की रियायतें दी गई हैं। जल्द ही इसकी मंजूरी राज्य

'बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024' में पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा "Prospectus of Investment in Tourism Sector in Bihar" पर कार्यक्रम आयोजित

"बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा Prospectus of Investment in Tourism Sector in Bihar" पर ज्ञान भवन, पटना में दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ।

इस कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता सम्मिलित हुए।

कैबिनेट से ली जाएगी। इसके बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी। नई नीति पाँच साल के लिए प्रभावी होगी।

बिहार रिन्यूबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) ने पहली बार वर्ष 2017 में अक्षय ऊर्जा नीति तैयार की थी। चूँकि 2022 में ही उस नीति की अवधि समाप्त हो चुकी है। इस कारण अभी वैकल्पिक व्यवस्था में पुरानी नीति को ही विस्तार दे दिया गया है। उस समय तैयार नीति में ही अक्षय ऊर्जा को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। उस नीति में पाँच साल में 2969 मेगावाट सौर ऊर्जा, 244 मेगावाट जैव ईंधन और 220 मेगावाट पनबिजली उत्पादन का लक्ष्य था। साथ ही सौर ऊर्जा में विदेशी कंपनियों को भी आकर्षित करना था, लेकिन पहली नीति में तय लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। सरकार ने तय किया है कि गैर परम्परागत ऊर्जा में अब भी बिहार को काफी काम करने हैं। कुल बिजली उत्पादन का 17 फीसदी अक्षय ऊर्जा का उपयोग होना जरूरी है। राज्य सरकार को रिन्यूअबल परचेज ऑब्लीगेशन की बाध्यता है।

ऐसा नहीं करने पर सरकार को करोड़ों रुपये हर्जाना के तौर पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भुगतान करना पड़ता है। इसलिए ऐसी नीति तैयार की गई है जिससे राज्य में अधिक से अधिक निवेशक आ सकें।

नई नीति में खास : नई नीति को बनाने में ब्रेडा ने सरकार के कई विभागों से भी मंतव्य मांगा था। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है। इस नीति में उद्योग विभाग की ओर से मिलने वाले तमाम छूट निवेशकों को दी जाएगी। इसके अलावा सोलर परियोजना में स्टाम्प ड्यूटी व निबंधन शुल्क का पुनर्भुगतान व प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। एक निश्चित दूरी वाले सब-स्टेशन तक बिजली ले जाने का खर्च सरकार वहन करेगी। राज्य के भीतर स्थापित परियोजनाओं के लिए क्रॉस सब्जिडी को सरचार्ज से छूट दिया जाएगा। 33 किलोवाट या इससे कम वाली इकाइयों में संचरण वितरण हानि की छूट दी जाएगी। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया जा रहा है।

"रिन्यूएबल पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह नीति लागू हो जाएगी। इस नीति को बनाने का मूल मकसद राज्य में गैर परम्परागत ऊर्जा को बढ़ावा देना है।"

– **बिजेन्द्र प्रसाद यादव,** ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री, बिहार सरकार।

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.12.2024)

सौर ऊर्जा: बैलेंस शून्य होने पर भी नहीं कटेगी उपभोक्ता की बिजली

स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आप बिजली का उपभोग करते रहे और आपका बैलेंस कितना भी माइनस में क्यों न चला जाए घर की बिजली नहीं कटेगी। इसके लिए स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ना होगा।

गौरतलब है कि पटना अंचल के ग्रामीण इलाके में 100 लोग सौर ऊर्जा योजना का लाभ ले रहे हैं। इनका बैलेंस शून्य होने पर भी बिजली नहीं कट रही है।

स्मार्ट मीटर वाले पोस्टपेड उपभोक्ता बन जाएँगे : सौर ऊर्जा लगाने पर स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता पोस्टपेड उपभोक्ता बन जाएँगे। इसमें ऐसी तकनीक लगाई गई है कि सौर ऊर्जा से कितनी यूनिट बिजली मिली, कितनी खपत की और कितनी यूनिट बिजली बच गई। अधिक बिजली बचने पर बिजली कंपनी को बिजली चली जाती है। उस एवज में बिजली कंपनी जरूरत पर उन उपभोक्ताओं को ली हुई बिजली लौटा देती है। बिजली उपभोक्ताओं को इसलिए पोस्टपेड वाली सुविधा दी जाती है। इसमें एक और सुविधा यह भी है कि आपका एक महीने में 300 यूनिट बिजली उत्पादित हुआ। आप किसी कार्यवश बाहर चले गए। वह बिजली आप आने पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

"पटना सर्किल के 100 घरों में सौर ऊर्जा लगवाए गए हैं। दो हजार आवेदन आए हैं। जिसे अविलंब लगाने की कार्रवाई हो रही है। उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। योजना से जुड़ने वाले कई लोगों का बिजली बिल जीरो आने लगा है।"

– **शंकर चौधरी,** विद्युत अधीक्षण अभियंता, पटना अंचल

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 15.12.2024)

आधार को मुफ्त अपडेट करने का समय छह महीने बढ़ा

अब 14 जून 2025 तक मुफ्त में जानकारियों में किया जा सकता है बदलाव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को निशुल्क अपडेट करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले अंतिम तारीख 14 दिसम्बर थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 जून 2025 कर दिया गया है।

आधार कार्ड में फोटो, पता, लिंग, नाम, जन्म तिथि आदि में बदलाव करवाया जा सकता है। इसके अलावा आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल भी बदलवा सकते हैं। इसके लिए नजदीकी आधार सेंटर जाना होगा। ऑफलाइन आधार अपडेट कराने पर 50 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा। फिलहाल यह नि:शुल्क सेवा my Aadhaar पोर्टल पर ही उपलब्ध है, जहाँ से आप अपना आधार कार्ड आसानी से अपडेट कर सकते हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.12.2024)**

19 करोड़ रुपये से बनी प्रदेश की पहली माइक्रोबायोलाजी लैब में शुरू हुई जाँच

अगमकुआँ स्थित बिहार की इकलौती संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोग-शाला में 19 करोड़ रुपये से विकसित माइक्रोबायोलाजी लैब और उच्चस्तरीय उपकरण अनुभाग का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने 14.12.2024 किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, मानक स्तर के खाद्य एवं पेय

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 को श्री कुन्दन कुमार, भा0प्र0से0, प्रबन्ध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया सम्मिलित हुए।

पदार्थ उपलब्ध कराने में यह प्रयोगशाला सहायक होगी। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) द्वारा विकसित यह बिहार की पहली और देश की 13वीं प्रयोगशाला है। इसमें छह करोड़ रुपये की तीन अत्याधुनिक जाँच मशीनें लगाई गई हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीएम, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सहयोग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में यह प्रयोगशाला तैयार हुई है। यहाँ दूध, दूध के उत्पाद, मांस, मछली, बोतल बंद पानी, खाद्य सामग्री में कीटाणु, मेटल, शीशा, टाक्सिन, वसा, एंटीबायोटिक, माइक्रोटाक्सिन आदि की जाँच होगी। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग का भी मंत्री होने के नाते कीटाणुओं की जाँच के लिए ऐसी और लैब विकसित की जाएगी। जाँच रिपोर्ट में मिलावट सामने आने पर दोषियों को दंडित किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर महापौर सीता साहू, स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह एफएसएसएआइ के गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग के निदेशक डॉ. अजय प्रकाश गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव अमिताभ सिंह, एनएमसीएच की प्राचार्या प्रो. डॉ. उषा कुमारी, अधीक्षक प्रो. डॉ. विनोद कुमार सिंह, ओएसडी सुरेन्द्र राय, कालेज के प्राचार्य डॉ. राम कुमार चौधरी आदि मौजूद थे।

आठ प्रमंडलों में खुलेगी लैब : स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि पटना के बाद बिहार के अन्य आठ प्रमंडलों में खाद्य जाँच प्रयोगशाला खोली जाएगी। इसके लिए एफएसएसएआइ को प्रस्ताव भेजा गया है। लोगों के बीच जाकर खाद्य नमूनों की जाँच के लिए पाँच फूड सेफ्टी आन व्हील लैब पटना, मगध, तिरहुत, भागलपुर, पूर्णिया प्रमंडल में काम कर रही है। बिहार के सभी जिलों में यह चलंत लैब उपलब्ध कराई जाएगी।

एफएसएसएआइ की गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग के निदेशक डॉ. अजय प्रकाश गुप्ता ने कहा कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबएल) मान्यता प्राप्त माइक्रोबायोलाजी लैब का संचालन तीन सालों तक संबंधित कंपनी द्वारा किया जाएगा। कंपनी की ओर से लैब में तीन माइक्रोबायोलाजी विशेषज्ञ की तैनाती की गई है।

(साभार : दैनिक जागरण, 15.12.2024)

बिहार को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए मिला अवार्ड

दिल्ली में समारोह में किया गया सम्मानित, जलवायु अनुकूल खेती कार्यक्रम के बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य का हुआ चयन

बिहार को वाटर ट्रांसवर्सेलिटी ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान की ओर से यह अवार्ड दिया गया। बिहार की ओर से बामेती के निदेशक धनंजयपति त्रिपाठी और सहायक निदेशक स्वाति सागर ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। दरअसल, बिहार के सभी जिलों के पाँच-पाँच गाँवों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया (बीसा), बिहार कृषि विवि, सबौर, भागलपुर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि, पूसा, समस्तीपुर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पटना के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जलवायु अनुकूल प्रावैधिकियों का उपयोग कर चुनौतियों से निपटने के लिए छोटे एवं सीमान्त किसानों को सशक्त बनाना है।

खाद्यान्न आपूर्ति में तकनीक के प्रयोग पर बिहार को पुरस्कार : बिहार को खाद्यान्न आपूर्ति में तकनीक के बेहतर प्रयोग पर पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर ये यह पुरस्कार दिया गया है। नई दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण अन्न चक्र के शुभारंभ के मौके पर केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विभाग के सचिव डॉ. एन सरवण कुमार को यह पुरस्कार दिया। पिछले वर्ष मार्च 2023 से राज्य में खाद्यान्न वितरण के मार्ग अनुकूलन में तकनीक का प्रयोग हो रहा है। इसमें बिहार ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.12.2024)

संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया, तो घर व संस्थानों की खरीद-बिक्री पर लगेगी रोक

संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर घर, मकान व संस्थानों की खरीद-बिक्री पर रोक लग सकती है। पटना नगर निगम ने रजिस्ट्रार को इसके लिए पत्र दिया है। पटना नगर निगम द्वारा नगर विकास विभाग एवं मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग को पत्र दिया जा चुका है कि मकान व संस्थान की खरीद-बिक्री के दौरान पटना नगर निगम का संपत्ति कर जमा रसीद दिखाना अनिवार्य है।

पटना नगर निगम से लेना होगा एनओसी : पटना नगर निगम स्थित संपत्तियाँ यथा फ्लैट, भवन, भूखंड और अन्य प्रकार के निजी आवास की खरीद-बिक्री के दौरान संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क की रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है। कई बार देखा जाता है कि संपत्तिधारकों द्वारा राजस्व शुल्क का भुगतान किये बिना ही विक्रेता द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है। ऐसे में क्रेता पर पूर्व के बकाया राजस्व का भी भार होता है। इसलिए अब पटना नगर निगम ने विगत वर्ष तक संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान कर अनापत्ति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया है। क्रेताओं को निबंधन परिसर में नये संपत्ति कर का निर्धारण करने की सुविधा मिलेगी। क्रेताओं को निबंधन परिसर में दाखिल-खारिज का आवेदन व भुगतान की सुविधा मिलेगी।

संपत्ति कर का भुगतान, असेसमेंट व रीअसेसमेंट की ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधाएँ उपलब्ध

1. पटना नगर निगम के पोर्टल https.//www.pmc.bihar.gov.in के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
2. पटना नगर निगम के मुख्यालय व अंचल कार्यालयों में भी संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 के अवसर पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 के अवसर पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की ओर से दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन अधिवेशन भवन, पटना में किया गया।

इस कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता सम्मिलित हुए।

3. आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था है।

4. प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम पाँच बजे तक सभी वार्डों. में पटना नगर निगम की टीम जा-जाकर कर संग्रहण कर रही है। आम लोग निगम कर्मियों को आवंटित पीओएस मशीन अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते है।

5. पेटीएम, फोन पे, गुगल पे और अन्य यूपीआइ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

6. पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर कर शहरवासी स्वयं कर निर्धारण और पुनर्निधारण का कार्य कर सकते हैं।

नगरपालिका एक्ट के तहत होगी कार्रवाई : बिहार नगरपालिका एक्ट, 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को संपत्तियों व रिक्त भूमि का संपत्ति कर का ससमय भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर विभिन्न कार्रवाई, जिसमें मांगपत्र जारी करना, निगम सेवाएं बंद करना चल संपत्ति की जब्ती और उसकी खरीद बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की आदि का प्रावधान है।

(साभार : प्रभात खबर, 5.12.2024)

क्यूआर कोड से पूरी जानकारी दें बिल्डर, नहीं तो कार्रवाई

राज्य में अब लोग किसी बिल्डर के आवासीय प्रोजेक्ट में नहीं फंसेंगे। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने पटना समेत राज्य में चल रहे 675 प्रोजेक्ट के लिए 1016 बिल्डरों को दिशा-निर्देश दिया है कि उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से देनी होगी। क्यूआर कोड रेरा ही आवंटित करेगा। क्यूआर कोड को स्कैन करने के साथ ही प्रोजेक्ट से संबंधित पूरी जानकारी ग्राहकों को मिल जाएगी। प्रत्येक तीन महीने में अपडेट करनी होगी। इसका पालन नहीं वाले प्रमोटरों पर कड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

• 675 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट • 1016 प्रमोटर्स हैं राज्य में • 1783 प्रोजेक्ट पंजीकृत • बिल्डरों-प्रमोटरों को अब हर तीन महीने पर प्रगति रिपोर्ट बतानी होगी

1783 पंजीकृत प्रोजेक्ट, इनमें पटना में सर्वाधिक : रेरा में 1783 परियोजनाएँ पंजीकृत हैं। इनमें पटना और इसके आसपास के इलाके में ही 675 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। रेरा की ओर से इनकी लगातार निगरानी की जा रही है। जो प्रमोटर्स तय समय में खरीदारों को घर, मकान व प्लॉट नहीं दे रहे हैं, रेरा उनके खिलाफ केस चलाकर भूमि को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में 16 दिसम्बर को अग्रणी होम्स की 85 डिसमिल जमीन की निलामी होगी।

पहली बार प्रोजेक्ट व प्रमोटर की रैंकिंग हो रही : खरीदारों की सुविधा के लिए पहली बार रेरा की ओर से पटना समेत पूरे राज्य की आवासीय परियोजनाओं की रैंकिंग तय की जा रही है। रैंकिंग तीन महीने के अंतराल पर जारी होगी। इसमें प्रमोटर का भी रैंक तय होगा। इससे ग्राहकों को घर, फ्लैट व प्लॉट में निवेश करने में सुविधा होगी।

...इस गाइडलाइन का पालन जरूरी : • सभी आवासीय परियोजना का रेरा में निबंधन जरूरी • ग्राहकों को फ्लैट, घर व प्लॉट बुकिंग की राशि का 10% ही देना होगा • प्रमोटर द्वारा परियोजना से संबंधित सूचना पट्ट पर रेरा निबंधन संख्या लिखना होगा • सूचना पट्ट पर परियोजना का रेरा द्वारा आवंटित क्यूआर कोड प्रदर्शित करना होगा • क्यूआर कोड स्कैन करने पर परियोजना की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए • ग्राहकों को निबंधन के दस्तावेज में कारपेट एरिया बताना अनिवार्य है • बॉलकनी का क्षेत्र फ्लैट के क्षेत्रफल में नहीं जुड़ेगा • प्रमोटर द्वारा ग्राहकों को प्रोजेक्ट से संबंधित ब्रोसर देना होगा, जिसमें परियोजना के पूरा होने का समय एवं सुविधाओं का जिक्र होगा।

रेरा के नियम-शर्तों का पालन करना अनिवार्य :

"अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी क्यूआर कोड को स्कैन करते ही लोगों को मिल जाएगी। रेरा के नियम का पालन सभी बिल्डरों व प्रमोटरों को करना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति को घर, फ्लैट व प्लौट खरीदने में मदद के लिए प्रोजेक्ट व बिल्डर की रैंकिंग जारी करने की शुरुआत हुई है। बुकिंग राशि लेने के बाद प्रमोटर को नियमावली-2017 के अनुसार एग्रीमेंट फॉर सेल करना है। पार्किंग भी बतानी होगी।" – **विवेक सिंह**, अध्यक्ष, रेरा बिहार

(साभार : दैनिक भास्कर, 12.12.2024)

बिहार में एनएच निर्माण दर राष्ट्रीय औसत की एक चौथाई

बिहार में नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग) के निर्माण की रफ्तार धीमी है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार में एक चौथाई कम एनएच का निर्माण हो रहा है। 10 वर्ष पहले और आज की तुलना करें तो इस अवधि में देश में एनएच की लबाई में 60 फीसदी की वृद्धि हुई है। जबकि इसी समान अवधि में बिहार में मात्र 43 फीसदी ही एनएच की लंबाई बड़ी है। राज्य में कम एनएच होने का एक अहम कारण यह भी है। केन्द्र की मौजूदा सरकार के कार्यकाल से तुलना करें तो वर्ष 2014 में देश में मात्र 91 हजार 287 किलोमीटर ही एनएच थे। इस वर्ष यानी 2024 में देश में एनएच की लंबाई बढ़कर एक लाख 46 हजार 145 किलोमीटर हो गई है। मगर बिहार में वर्ष 2014 में 4283 किलोमीटर एनएच था। इस वर्ष यह बढ़कर 6131 किलोमीटर हुआ है। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से यह साफ है कि 10 वर्षों में देश में एनएच बढ़ने का औसत जहाँ 60 फीसदी रहा, वहीं बिहार का औसत मात्र 43 फीसदी ही रहा।

रजौली में न्यूक्लियर पावर प्लांट की जगी आस, टीम ने लिया जायजा

एक दशक पहले रजौली प्रखंड के अंतर्गत फुलवरिया डैम में जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट का सपना जिलेवासियों ने देख था, वह एक बार फिर से उम्मीदों में बंधता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए 26 दिसम्बर, 2024 को एनटीपीसी की पाँच सदस्यीय टीम डैम समेत पूरे क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए मुम्बई से रजौली पहुँची। एनटीपीसी के न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिविजन के डीजीएम एन. के. दास के नेतृत्व में टीम ने स्थल का जायजा लिया। उनके साथ नवादा के सांसद और जिला प्रशासन के अधिकारी भी थे।

सर्किट हाउस नवादा में सांसद विवेक ठाकुर ने इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मीडिया को प्रेसवार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी के सीएमडी का चार दिन पहले बिहार दौरा हुआ था। रजौली में संभावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर जीएम ए. पी. संबल नियुक्त हुए हैं। इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री अशीष शंकर उपस्थित थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 27.12.2024)

टीम के निरीक्षण करने के दौरान नवादा के सांसद विवेक ठाकुर व अन्य।

राजमार्गों की स्थिति

औसत	2014	2024	वृद्धि
देश	91287 किमी	146145 किमी	60.03 फीसदी
झारखण्ड	2402 किमी	3632 किमी	51.2 फीसदी
उत्तरप्रदेश	8397 किमी	12292 किमी	46.38 फीसदी
बिहार	4283 किमी	6131 किमी	43.14 फीसदी

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.12.2024)

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण... निर्माण सामग्री या मलबा सड़क पर रखा तो 1500 जुर्माना

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब सड़क पर जहाँ-तहाँ निर्माण सामग्री और मलबा रखने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। न्यूनतम 1500 रुपए जुर्माना लगेगा। नगर निगम की टीम द्वारा वार्डों में घूमकर जाँच की जाएगी। जिन्हें मलबा निपटाने में दिक्कत है, उनके द्वारा सूचना दिए जाने पर नगर निगम द्वारा मलबा को कलेक्ट किया जाएगा। इस सुविधा के लिए आम नागरिकों को प्रति फेरा 600 रुपए शुल्क देना होगा। इसके लिए नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर **155304** और वाट्सअप चैट बोट नंबर **9264447449** पर संपर्क किया जा सकता है।

यहाँ जमा करा सकते हैं मलबा : • पाटलिपुत्रा अंचल : पानी टंकी के पास • नूतन राजधानी अंचल : खगौल रोड, गर्दनीबाग • कंकड़बाग अंचल : एनआरएल पेट्रोल पंप के पास, ट्रांसपोर्ट नगर • बांकीपुर अंचल : महाराणा प्रताप मैरिज हॉल के पास, आर्य कुमार रोड।

(साभार : दैनिक भास्कर, 16.12.2024)

LIST OF CHAMBER'S CHAIRMAN & CO-CHAIRMAN OF DIFFERENT SUB-COMMITTEES / CELL FOR THE TERM 2024-2025

Sl. No.	Name of Sub-Committee/Cell	Chairman	Co-Chairman
1	Industry & Direct Taxes	Shri P. K. Agrawal 7004771255	
2	GST	Shri Sunil Saraf 9835081820	Shri Abhijeet Baid 9431020319, 9431495229
3	Urban Development	Shri Navendu Kumar Thakur 9835046056	
4	Environment and Pollution Control	Shri Navendu Kumar Thakur 9835046056	
5	Skill Development, Infra-structure & Physiotherapy	Shri Mukesh Kr. Jain 9334106929	Shri Pawan Kumar Bhagat 9334377000, 8298277000
6	Bulletin	Shri Ashish Shankar 9835038305	
7	Infrastructure (Railway & Transport)	Shri A. K. P. Sinha 9431020163	
8	Energy	Shri A. K. P. Sinha 9431020163	
9	Membership Development	Shri Ganesh Kumar Khetriwal 9431800578	
10	Labour	Shri Sudhi Ranjan 9031444705	
11	RTI Cell	Shri Kishore Kumar Agrawal 9334112055	
12	Information Technology	Shri Akhilesh Kumar 9431033333	
13	Communication	Shri Rajesh Jain 9334111993	
14	Organisation	Shri Ajay Kumar 9386595491	
15	Banking	CA Abhishek Lohia 9334128026, 9431009215	

माननीय सदस्य उपर्युक्त उप-समितियों से संबंधित समस्या/सुझाव हेतु संबंधित चेयरमैन से संपर्क कर सकते हैं।

जाम या सड़क हादसा होने पर डीएसपी को दे सकेंगे जानकारी

शहर में जाम व सड़क हादसे पर क्विक रिस्पांस के लिए नो योर ट्रैफिक पुलिस के तहत ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने सभी पाँच डीएसपी के बीच क्षेत्र बांटा है। किस डीएसपी को किस क्षेत्र का जिम्मा दिया गया है, यह जानकारी रविवार ट्रैफिक एसपी ने दी। उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में दुर्घटना व जाम होगा, उसके बारे में सूचना या शिकायत डीएसपी को दर्ज करा सकते हैं। डीएसपी के नंबर के अलावा ट्रैफिक कंट्रोल का मोबाइल नंबर **9470630615** और **6122219151** भी जारी किये गये हैं।

ट्रैफिक डीएसपी : कृष्णा प्रसाद :

9431820412 **क्षेत्र :** एनआइटी मोड़, दिनकर गोलंबर, हड़ताली चौक, तपस्या मोड़, साई मंदिर मोड़, अटल पथ, पाटलिपुत्र गोलंबर, सीएम आवास, आइपीएस मोड़, जू गेट नंबर-1, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर, अनिसाबाद गोलंबर, डुमरा चौकी, आशियाना मोड़, कुर्जी मोड, राजापुर पुल और जेपी सेतु शामिल है।

ट्रैफिक डीएसपी : अनिल कुमार : 9431820413 **क्षेत्र :** पटना सिटी, न्यू बाइपास, गाँधी सेतु, सिपारा, मीठापुर, राजेन्द्र नगर, कंकड़बाग और बैरिया बस स्टैंड शामिल है।

ट्रैफिक डीएसपी : अजीत कुमार : 9431820414 **क्षेत्र :** डीपीएस मोड, लोहियानगर, जगदेवपथ, गोला रोड, आरपीएस मोड़, दानापुर स्टेशन, शिवाला चौक, शहीद चौक, फुलवारीशरीफ और खगौल (लख) शामिल है।

ट्रैफिक डीएसपी : ललित मोहन सिंह : 6200687340 **क्षेत्र :** बिहटा चौक, बिहटा माचा बाबा चौक, केनरा बैंक चौक, स्टेशन मोड, डोमिनिया पुल और विशंभरपुर मोड़ शामिल है।

ट्रैफिक डीएसपी : अमित कुमार : 9973012002 **क्षेत्र :** कारगिल चौक, बाकरगंज मोड़, रामगुलाम चौक, एस. पी. वर्मा रोड दक्षिणी, गोरियाटोली चौक, डाकबंगल चौराहा, पटना जंक्शन गोलबर, जीपीओ गोलबर (ऊपर-नीचे) वोल्टास मोड, कोतवाली टी और बेली-बोरिंग रोड क्रॉसिंग शामिल है।

(साभार : प्रभात खबर, 2.12.2024)

LIST OF HOLIDAYS OF THE CHAMBER FOR THE YEAR 2025

S. No.	NAME OF HOLIDAYS	DATE	DAY	NO. OF DAYS
1.	New Year's Day	01.01.2025	Wednesday	01
2.	Republic Day	26.01.2025	Sunday	01
3.	Holi (Holi & Basiaura)	14.03.2025 15.03.2025	Friday Saturday	02
4.	Ramnavmi	06.04.2025	Sunday	01
5.	Raksha Bandhan	09.08.2025	Saturday	01
6.	Indepedence Day	15.08.2025	Friday	01
7.	Durga Puja (Ashtmi, Navmi & Dushmi)	30.09.2025 01.10.2025 02.10.2025	Tuesday Wednesday Thursday	03
8.	Birthday of Mahatma Gandhi	02.10.2025	Thursday	01
9.	Deepawali	22.10.2025	Wednesday	01
10.	Chhath Puja (Sandhya Arghya & Paran)	27.10.2025 28.10.2025	Monday Tuesday	02
			Total	**14**

RESTRICTED HOLIDAYS

Employees can avail only three restricted holiday which are as follows -

SL. NO.	NAME OF HOLIDAYS	DATE	DAY
1.	Basant Panchami	03.02.2025	Monday
2.	Mahashivratri	26.02.2025	Wednesday
3.	Eid-Ul-Fitr	31.03.2025	Monday
4.	Mahavir Jayanti	10.04.2025	Thursday
5.	Eid-Ul-Zoha (Bakrid)	07.06.2025	Saturday
6.	Muharram	06.07.2025	Sunday
7.	Sri Krishna Janamashtmi	16.08.2025	Saturday
8.	Chitragupta Puja/Bhaia Duj	23.10.2025	Thursday
9.	X-Mas Das	25.12.2025	Thursday
10.	Kartik Purnima / Guru Nanak Jayanti	27.12.2025	Saturday

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Chairman
ASHISH SHANKAR
Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296